न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 12/2022 (Bank Case)

असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि0, एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– दॉ रूबी, दसवी मंजील, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई– 400028 तथा शाखा कार्यालय– यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री निक्की कुमार ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा,
   पता– 164, यासीन पठान की बाड़ी, वार्ड नम्बर 14, अन्ता, बारां राजस्थान–325202
   दूसरा पता–पचेल खुर्दो, बारां, राजस्थान– 325202 (ऋणी– बंधककर्ता)
2. श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री राम नारायण मीणा,
   पता– पचेल खुर्दो, बारां, राजस्थान– 325202 (सह–ऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30/9/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि0, एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– दॉ रूबी, दसवी मंजील, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई– 400028 तथा शाखा कार्यालय– यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री निक्की कुमार, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.04.2017 को 8,50,000/– रूपये (अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री राम नारायण मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति, प्लॉट जो कि मिर्जा कॉलोनी, खसरा ... 890, 895 तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान में है। जिसका कुल क्षेत्रफल 152 ... है ... चतुर्थ सीमा– पूर्व में स्टेशन रोड, पश्चिम में रोड 12 फीट चौड़ा, ... , दक्षिण में गोवर्धन धाकड़ का मकान है,** को प्रार्थी ... गिरवीकृत किया गया ... अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण ... भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को 06.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 10,34,331.47/– (अक्षरे दास

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

लाख चौतिस हजार तीन सौ इगतिस रूपये सैतालिस पैसे) बकाया राशि दिनांक 30.11.2020 तक शेष देय है व दिनांक 01.12.2020 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" में दिनांक 28.01.2021 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 28.01.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री रामेश्वर प्रसाद मीणा पुत्र श्री राम नारायण मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति, प्लॉट जो कि मिर्जा कॉलोनी, खसरा नं. 889, 890, 895 तहसील अन्ता, जिला बारां राजस्थान में है। जिसका कुल क्षेत्रफल 152 वर्गगज है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में स्टेशन रोड, पश्चिम में रोड 12 फीट चौडा, उत्तर में नन्द लाल राठौड़ का मकान, दक्षिण में गोवर्धन धाकड़ का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 30/9/22 को सुनाया...

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:53 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)